Scan QR To
Connect us on Internet

अंग इंडिया

पूर्णिया से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र

20 फ़रवरी 2026 । पूर्णिया । शुक्रवार । कुल पृष्ठ - 03 । मूल्य - 03 । 18 फाल्गुन । शुक्ल पक्ष । तृतीया । 2082 कालयुक्त । विक्रम सम्वत https://angindianews.in

बिहार में बारात और आयोजनों में डीजे पर पूरी तरह लगेगी रोक, 15 दिन में सख्त कार्रवाई का ऐलान

पटना: बिहार में बारात, शादी-विवाह और अन्य सामाजिक आयोजनों में तेज आवाज वाले डीजे संगीत पर अब पूरी तरह रोक लगाने की तैयारी है। नीतीश कुमार सरकार के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने ऐलान किया है कि गाड़ियों में अवैध रूप से छेड़छाड़ कर डीजे ट्रॉली बनाने और बिना अनुमति लाउड डीजे बजाने को गैरकानूनी घोषित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगले 15 दिनों के भीतर पूरे राज्य में इस पर सख्त प्रतिबंध लागू कर दिया जाएगा, ताकि कानून-व्यवस्था और सामाजिक शांति बनाए रखी जा सके।

यह बयान बिहार विधान परिषद में प्रश्नोत्तर काल के दौरान एमएलसी बंशीधर व्रजवासी के सवाल के जवाब में दिया गया। व्रजवासी ने कहा कि सरकार ने डीजे बजाने पर तो रोक लगाई है, लेकिन डीजे ट्रॉली के निर्माण पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से समस्या बनी हुई है। गाड़ियों की बनावट में गलत तरीके से फेरबदल कर तेज आवाज में डीजे बजाए जाते हैं, जिससे विवाद, गोलीबारी, हत्या तक की घटनाएं हो चुकी हैं और कई मामलों में हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्याएं भी सामने आई हैं।

परिवहन मंत्री ने सदन को भरोसा दिलाया कि 15 दिनों के भीतर ऐसी गाड़ियों के निर्माण और बिना अनुमति तेज आवाज में डीजे बजाने पर राज्य भर में पूर्ण रोक लगा दी जाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि शादी-विवाह के मौसम में डीजे नहीं बजने पर नाच-गाने को लेकर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन अब जब मुद्दा सामने आ चुका है तो सरकार इस पर सख्ती से कार्रवाई करेगी।

बिहार में खत्म होगी शराबबंदी? अब NDA के साथी भी करने लगे डिमांड

मांझी ने दावा किया कि प्रतिबंध के शिकार ज्यादातर लोग वंचित वर्गों से हैं और यह नीति राज्य को भारी राजस्व का नुकसान पहुंचा रही है।

पटना: केंद्र में एनडीए सरकार की ऐतिहासिक वापसी के महज तीन महीने बाद ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने ही गठबंधन सहयोगियों के भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। एनडीए के घटक दलों ने राज्य में एक दशक से लागू पूर्ण शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग उठाई है। सहयोगी दलों का तर्क है कि इस कानून के कारण अब तक आठ लाख से अधिक लोग कानूनी मुकदमों में फंस चुके हैं और इसका सबसे ज्यादा असर गरीब व वंचित तबकों पर पड़ा है।

इस बहस की शुरुआत जीतन राम मांझी ने की। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री मांझी ने शराबबंदी कानून की समीक्षा का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के शिकार अधिकांश लोग वंचित वर्गों से आते हैं और इस नीति के चलते राज्य को भारी राजस्व नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शराबबंदी जमीन पर लागू नहीं हो रही है, बल्कि शराब की होम डिलीवरी हो रही है।

गया में पत्रकारों से बातचीत में मांझी ने कहा कि शराबबंदी से संबंधित लंबित मामलों में से करीब साढ़े तीन से चार लाख केस अकेले वंचित वर्गों के खिलाफ हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में जहरीली शराब की आपूर्ति बढ़ी है, जो सस्ती होने के कारण गरीबों तक पहुंच रही है और उनकी जान ले रही है। मांझी ने यह भी कहा कि नीति गलत नहीं है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में गंभीर खामियां हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि छोटे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि बड़े तस्करों को पैसे लेकर छोड़ दिया जा रहा है।

मांझी से एक दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक माधव आनंद ने भी विधानसभा में शराबबंदी कानून की विस्तृत समीक्षा की मांग उठाई थी। नीतीश कुमार की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि कानून पारित होने के बावजूद शराब होम डिलीवरी के जरिए उपलब्ध है और इससे राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा है। हालांकि सरकार ने इस मांग को खारिज कर दिया।

वहीं जेडीयू ने सहयोगी दलों की इस मांग को हास्यास्पद बताया है। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि शराबबंदी कानून सभी दलों की सहमति से पारित हुआ था और उस समय सभी ने सदन में समर्थन किया था, ऐसे में अब समीक्षा की मांग बेमानी है। उन्होंने दावा किया कि शराबबंदी के बाद जनता का भरोसा बढ़ा है और महिलाएं सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं।

एनडीए के भीतर उठे इस विरोध के बाद अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिकी हैं। शराबबंदी उनकी सबसे महत्वाकांक्षी नीतियों में से एक मानी जाती है। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि वह सहयोगी दलों के दबाव में इस कानून की समीक्षा या संशोधन के लिए तैयार होते हैं या अपने पुराने फैसले पर अडिग रहते हैं।

सहरसा में राजस्व कर्मचारियों का धरना, मांगें नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन अवकाश

सहरसा: सहरसा के स्थानीय स्टेडियम में बिहार राज्य भूमि सुधार संघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा, पटना के आह्वान पर राजस्व कर्मचारियों ने जिला पदाधिकारी के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन व एक दिवसीय धरना दिया।

कर्मचारियों ने गृह जिला में पदस्थापन, ग्रेड-पे 2800 (लेवल-5), वाहन व ईंधन सुविधा, सीमित कार्यभार और आईटी संसाधन जैसी मांगों के समर्थन में मांगें पूरी होने तक अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश जारी रखने का निर्णय लिया।

धरना में प्रमुख रूप से बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला मंत्री शरद कुमार, बिहार राज्य भूमि सुधार जिला शाखा के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार झा, जिला मंत्री श्रवण कुमार, महासंघ के अध्यक्ष प्रभात कुमार सिंह, समाहरणालय संघ के अध्यक्ष रमण कुमार, जिला मंत्री समरेन्द्र कुमार, उप मुख्य संरक्षक सूरज कुमार, शशि भूषण सिंह, मानद सदस्य रामनाथ प्रसाद, उपाध्यक्ष चितेन्द्र नारायण, जवाहर मुखिया, कोषाध्यक्ष नीरज कुमार, सहायक जिला मंत्री अभिषेक कुमार, शिवपूजन कुमार, संयुक्त जिला मंत्री अमित कुमार, संघर्ष मंत्री मनीष कुमार, संघर्ष अध्यक्ष कौशल कुमार आदित्य, कार्यालय मंत्री पिंटू कुमार रजक, मीडिया प्रभारी रघुवर प्रसाद, अनुमंडल सदर मंत्री विनय कुमार, अनुमंडल सदर मंत्री सत्येन्द्र कुमार, अनुमंडल सिमरी बख्तियारपुर अध्यक्ष संतोष कुमार, अनुमंडल सिमरी बख्तियारपुर मंत्री वरुण कुमार, अंचल कहरा अध्यक्ष मणिकान्त पाल, अंचल कहरा मंत्री उदय कुमार, दिलीप कुमार, मुकेश कुमार, अनुपम ज्योति, नवीन कुमार, बिरेन्द्र कुमार, राजीव रंजन, कमलेश कुमार, प्रेम राज, अली राजा, दीपक कुमार, बिटेश्वर प्रसाद, अनुपम कुमार, पुष्कर कुमार सहित दर्जनों अंचलों के राजस्व कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

एआई समिट में दिखी वैश्विक एआई जंग की झलक, पीएम मोदी के मंच पर सैम ऑल्टमैन और डारियो अमोदेई ने नहीं थामा हाथ

नई दिल्ली : नई दिल्ली में आयोजित की जा रही एआई समिट की चर्चा दुनियाभर में हो रही है। एआई के क्षेत्र के तमाम दिग्गज इस समय भारत में मौजूद है। पीएम मोदी समेत इन नेताओं और एआई दिग्गजों में भारत मंडपम के मंच पर एक साथ खड़े होकर फोटो भी खिंचवाई, लेकिन इसी फोटो को खिंचवाते समय कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। दरअसल, सत्र के अंत में पीएम मोदी ने पारंपरिक फोटो सेशन के लिए सभी दिग्गजों को एक साथ मंच पर बुलाया। इस दौरान ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन और एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई पास में खड़े हुए थे, पीएम मोदी ने जैसे ही सभी को आपस में हाथ पकड़कर फोटो खिंचवाने की कोशिश की। इन दोनों ने

आपस में हाथ नहीं मिलाया और बिना पकड़े ही हाथ खड़े कर दिए।

सैम ऑल्टमैन और डारियो के बीच हुए एक व्यवहार की वजह से दुनिया की नजर एआई के क्षेत्र में बढ़ती प्रतिद्वंदिता के ऊपर भी पड़ी है। दरअसल, एंथ्रोपिक की स्थापना ओपन एआई के ही पूर्व अधिकारियों द्वारा 2021 में की गई थी। जिनमें डारियो अमोदेई भी शामिल थे, जो पहले ओपनएआई के रिसर्च वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत थे। ऐसे में दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। एंथ्रोपिक के आने के बाद से दोनों के बीच बातचीत तो होती है, लेकिन साथ ही एक प्रतिद्वंदी की भावना भी है।

दोनों ही पक्ष एक-दूसरे को अपना कड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं। सैम ऑल्टमैन को जहां ओपन एआई और चैटजीपीटी के लिए जाना जाता है, तो वहीं एंथ्रोपिक को क्लॉड के लिए जाना जाता है। एआई के क्षेत्र में दोनों टेक्नोलॉजी और मार्केट रणनीति को लेकर बार-बार आपस में उलझे हुए नजर आते हैं। इसी वजह से एआई इम्पैक्ट समिट में भी इन दोनों का आपस में हाथ न मिलाना भी एक कंपटीशन के तौर पर ही देखा गया है।

एआई को लेकर भी सैम और डारियो के मतभेद हैं। उदाहरण के तौर पर सैम एआई मॉडल पर विज्ञापन दिखाने के पक्षधर हैं, तो वहीं डारियो इसके सख्त खिलाफ हैं। इसके अलावा एंथ्रोपिक खुद को एक सुरक्षा-केंद्रित एआई प्रयोगशाला के रूप में स्थापित करती है, जो अपने क्लाउड मॉडल परिवार के माध्यम से समन्वय और जिम्मेदार विकास पर जोर देती है। जबकि ओपनएआई सुरक्षा अनुसंधान के साथ-साथ तेजी से उत्पाद विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। इसी वजह से उसने चैटजीपीटी जैसे तमाम एआई उपकरणों को बड़े पैमाने पर बाजार में उतारा है। हालांकि दोनों के बीच में कोई आधिकारिक विवाद तो नहीं है, लेकिन एक ही फील्ड में होने की वजह से दोनों पक्षों की तरफ से लगातार एक-दूसरे के विरुद्ध रणनीतियां बनाई जाती रहती हैं।

भारत-नेपाल सीमा समन्वय समिति की अहम बैठक में सुरक्षा और आपसी सहयोग पर बनी सहमति

अररिया, प्रिंस कुमार: भारत-नेपाल सीमा पर शांति, सुरक्षा और बेहतर समन्वय को लेकर नेपाल के बिराटनगर में 'भारत-नेपाल बॉर्डर जिला समन्वय समिति' की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में सीमा प्रबंधन, अवैध गतिविधियों की रोकथाम और आपसी आवाजाही को सुचारु बनाने जैसे मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

भारतीय पक्ष का नेतृत्व अररिया के जिलाधिकारी विनोद दूहन और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने किया, जबकि सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के कमांडेंट सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। नेपाली पक्ष की ओर से संबंधित जिले के प्रशासनिक व सुरक्षा अधिकारियों ने भाग लेते हुए द्विपक्षीय सहयोग को और

मजबूत करने पर सहमति जताई।

बैठक में सीमा पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी, तस्करी और मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर रोक के लिए खुफिया सूचना साझा करने तथा आपात स्थिति में दोनों देशों के स्थानीय प्रशासन के बीच त्वरित संवाद व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि सीमावर्ती जिलों के बीच बेहतर तालमेल से न केवल सुरक्षा सुदृढ़ होगी, बल्कि दोनों देशों के नागरिकों के बीच विश्वास और सहयोग भी बढ़ेगा।

राजनीति में झूठ बोलने वाले ही टिक पाते हैं: खेसारी लाल यादव

पटना : भोजपुरी के जाने माने सिंगर एक्टर खेसारी लाल यादव ने कहा है कि राजनीति करने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। इसके बगैर राजनीति नहीं हो सकती। झूठ नहीं बोल पाने के लिए नेता नहीं बन सकता। 2025 के विधानसभा चुनाव में राजद के टिकट पर किस्मत आजमा चुके खेसारी लाल यादव ने कहा कि राजनीति उनके वश की बात नहीं। वह कलाकार ही ठीक हूं। बीजेपी में जाने की संभावना से भी उन्होंने इनकार दिया। छपरा सीट पर एनडीए की छोटी कुमारी ने उन्हें हरा दिया।

पत्रकारों से बात करते हुए खेसारी लाल यादव ने कहा कि कलाकारों की अपनी अलग दुनिया है जहां झूठ नहीं बोला जाता। राजनीति में वे नहीं चल पाएंगे क्योंकि यहां समय देखकर झूठ सच बोलना पड़ता है। झूठ बोलने वाले ही यहां टिक पाते हैं। सच बोलकर राजनीति नहीं कर सकते। इसलिए मुझे कलाकार ही रहने दीजिए। मैं वहीं पर ठीक हूं। सियासत मेरे वश की

बात नहीं है। मोटा मोटी उन्होंने पहले चुनाव में करारी हार के बाद सन्यास ले लिया है। यह उनका पहला चुनाव आखिरी साबित हो सकता है।

खेसारी लाल ने कहा कि एक बार सिचुएशन बना तो चुनाव लड़कर देख लिया। अब और नहीं। उन्होंने बीजेपी ने जाने की संभावना से भी इनकार किया। कहा कि अब कहीं नहीं जा रहा। कलाकार रहते हुए लोगों की सेवा करूंगा। मैं सच बोलने वाला आदमी हूं। मुझे संगीत से मतलब है और संगीत ही मेरा जीवन है।

पटना–गया रेलखंड पर बड़ा हादसा टला, अवैध क्रॉसिंग पर फंसी बाइक से टकराई पलामू एक्सप्रेस

पटना : पटना–गया रेलखंड पर मंगलवार की रात एक बड़ा रेल हादसा टल गया। जहानाबाद और नदौल स्टेशन के बीच सेवनन गांव के समीप एक अवैध क्रॉसिंग पर अप पलामू एक्सप्रेस ट्रेन रेलवे ट्रैक पर फंसी बाइक से टकरा गई। हादसे में बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि बाइक सवार मौके से फरार हो गया। यह घटना रात करीब नौ बजे के बाद की बताई जा रही है।

घटना की सूचना मिलते ही जहानाबाद आरपीएफ पोस्ट से सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रेन के इंजन में फंसी बाइक को बाहर निकाला गया, तब जाकर ट्रेन का परिचालन बहाल हो सका। इस दौरान करीब एक घंटे दस मिनट तक पलामू एक्सप्रेस का परिचालन बाधित रहा, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी।

आरपीएफ पोस्ट के इंस्पेक्टर पी.के. यादव ने बताया कि

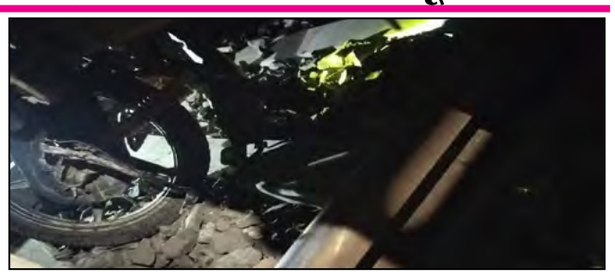

जब्त की गई बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। बाइक मालिक की पहचान कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि संबंधित अवैध क्रॉसिंग को दोबारा पूरी तरह बंद करा दिया गया है, ताकि भविष्य में किसी तरह की जान-माल की क्षति न हो।

जानकारी के अनुसार पलामू एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर पटना से रवाना हुई थी। नदौल स्टेशन से आगे बढ़ने के दौरान सेवनन गांव के पास एक बाइक सवार अवैध क्रॉसिंग से ट्रैक पार करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उसकी बाइक ट्रैक में फंस गई। ट्रेन चालक ने सतर्कता दिखाते हुए ब्रेक लगाया, लेकिन तब तक इंजन बाइक से टकरा गया। चालक की सूझबूझ से ट्रेन को तुरंत रोक दिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

रेलवे प्रशासन ने एक बार फिर लोगों से अवैध क्रॉसिंग का इस्तेमाल न करने की अपील की है और कहा है कि ऐसी लापरवाही न केवल खुद की जान के लिए खतरा है, बल्कि सैकड़ों यात्रियों की सुरक्षा भी दांव पर लग जाती है।

बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर पिता की हत्या, शहर के मेन रोड में हुई घटना

पटना : बिहार में अब बेटी के साथ कथित छेड़खानी का विरोध करने पर बाट से मारकर पिता की हत्या कर दी गई। मृतक के पुत्र ने इस मामले में एक युवक और उसके भाइयों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। घटना शहर के मेन रोड में हुई। सड़क पर हुई कत्ल की वारदात से सनसनी फैल गई है। बक्सर जिले के तुरहा टोली निवासी दिलीप वर्मा ने पुलिस को दिये आवेदन में बताया है कि उसके पिता संतोष वर्मा बीते मंगलवार की रात सब्जी खरीदने आर्य समाज मंदिर के पास लगने वाली मंडी में गए थे। वहीं तुरहा टोली का ही रहने वाला मंटू तुरहा अपने तीन भाइयों के साथ उसके पिता को पकड़ लिया और बाट से सिर पर मारकर हत्या कर दी।

खून से लथपथ संतोष वर्मा को सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिजन सदर अस्पताल पहुंचे। इसके बाद वहां चीख-पुकार मच गई। इस मामले में

मंटू तुरहा और उसके तीनों भाइयों सहित अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मंटू और उसके एक भाई सुरेंद्र तुरहा को गिरफ्तार कर लिया।

मृतक संतोष वर्मा के पुत्र दिलीप वर्मा ने पुलिस को बताया है कि मंटू उसकी बहन के साथ अक्सर छेड़खानी करता था। उसकी शादी हो जाने के बाद भी वह लगातार उसे परेशान करता था।

संतोष वर्मा इसका विरोध करते थे। करीब सात साल पहले मामला थाने तक पहुंचा था, लेकिन बाद में समझौता कर लिया गया। बावजूद मंटू के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। दिलीप की मानें तो पिछले दिनों उसके पिता ने मंटू को ऐसा करने से मना करते हुए कड़ा ऐतराज जताया।

इससे खार खाए मंटू ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। बीते मंगलवार की रात करीब सात बजे मंटू अपने भाइयों और कुछ अज्ञात लोगों के साथ उनके घर पहुंचा था। डर के मारे सबों ने गेट नहीं खोला। इस पर उसने संतोष वर्मा को धमकाते हुए कहा कि आज तुम्हें मार डालेंगे।

अंतत: रात में जब वे सब्जी लेने मंडी गए तो सबों ने मिलकर उनकी हत्या कर ही दी। बक्सर के एसपी शुभम आर्य ने कहा कि दो नामजद आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मामले की जांच की जा रही है।

ग्रेजुएट युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, बिहार में 203 ऑडिट अधिकारियों की भर्ती

पटना: यदि आप ग्रेजुएट हैं और बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है। पंचायती राज विभाग बिहार ने जिला ऑडिट अधिकारी और वरिष्ठ ऑडिट अधिकारी के कुल 203 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। यह भर्ती राज्य के पंचायत तंत्र को मजबूत करने और योजनाओं में वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

इस भर्ती की खास बात यह है कि इसमें साधारण स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों ही उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं। जिन युवाओं ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है या अंतिम वर्ष में हैं, उनके लिए यह सरकारी सेवा में प्रवेश का बेहतर मौका माना जा रहा है। भर्ती अभियान के तहत जिला ऑडिट अधिकारी के 38 पद और वरिष्ठ ऑडिट अधिकारी के 165 पद निर्धारित किए गए हैं। चयनित अधिकारियों की जिम्मेदारी पंचायत स्तर पर योजनाओं के खर्च, लेखा परीक्षण और सरकारी धन के सही उपयोग की निगरानी करना होगा।

शैक्षणिक योग्यता के रूप में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री अनिवार्य है। स्नातकोत्तर उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। जो छात्र अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं, उन्हें अक्टूबर 2026 तक डिग्री पूरी कर सभी आवश्यक प्रमाणपत्र जमा करने होंगे, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष तय की गई है, जबकि संविदा आधारित मामलों में अधिकतम आयु 70 वर्ष तक मान्य हो सकती है। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी।

राज्य सरकार ने इस भर्ती में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया है। इसमें विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, हिंसा से प्रभावित तथा जेंडर ट्रांजिशन से गुजर रही महिलाएं भी शामिल हैं, जिससे पंचायत प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। चयन प्रक्रिया को भी सरल रखा गया है। ऑनलाइन आवेदन के बाद शॉर्टलिस्टिंग, दस्तावेज सत्यापन और आवश्यकता पड़ने पर साक्षात्कार लिया जाएगा। इस भर्ती में लिखित परीक्षा की अनिवार्यता नहीं है।

यह नियुक्ति संविदा आधार पर होगी और चयनित उम्मीदवारों की तैनाती बिहार के किसी भी जिले में की जा सकती है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 मार्च 2026 की रात 11 बजकर 59 मिनट तक निर्धारित है। आवेदन करते समय शैक्षणिक प्रमाणपत्र, सभी मार्कशीट, जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), बिहार निवासी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य होगा। गलत जानकारी देने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

शादी के लिए 25-30 लाख रुपये हड़पे, वापस मांगने पर SC/ST एक्ट लगाया, युवती जहर खाकर दी जान

गाजियाबाद: एक दिल दहला देने वाली घटना में गाजियाबाद की 24 वर्षीय युवती ने शादी के लिए दिए गए 25-30 लाख रुपये वापस मांगने पर दोस्त द्वारा SC/ST एक्ट में केस करने के बाद गहरा डिप्रेशन झेलते हुए जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार, युवती का नाम प्रिया (बदला हुआ नाम) है, जो एक निजी कंपनी में काम करती थी। वह पिछले दो साल से अपने दोस्त राहुल (बदला हुआ नाम) से रिलेशनशिप में थी।

राहुल ने शादी का वादा कर युवती से 25-30 लाख रुपये विभिन्न माध्यमों से लिए थे, जिसमें कैश, ज्वेलरी और बैंक ट्रांसफर शामिल थे। जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया और पैसे वापस मांगे, तो राहुल ने उल्टा SC/ST एक्ट के तहत उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। युवती ने परिवार को बताया कि राहुल ने उसे धमकी दी कि केस में फंसाकर जेल भेज देगा और उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। इस मानसिक दबाव और अपमान से टूटकर युवती ने सोमवार रात घर पर ही जहर खा लिया। परिवार ने तुरंत उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में जहर से मौत की पुष्टि हुई। पुलिस ने राहुल के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। युवती के परिवार ने कहा कि राहुल ने शादी का झांसा देकर पैसे ऐंठे और अब SC/ST एक्ट का दुरुपयोग कर उन्हें डराने की कोशिश की। यह घटना SC/ST एक्ट के दुरुपयोग और रिलेशनशिप में आर्थिक शोषण जैसे मुद्दों पर फिर से बहस छेड़ रही है। पुलिस ने राहुल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

एक भी इथेनॉल प्लांट बंद नहीं होगा : दिलीप जायसवाल

पटना: बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने स्पष्ट किया कि राज्य में स्थापित एक भी इथेनॉल प्लांट बंद नहीं होगा और उनके विपणन की भी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि हाल ही में उपमुख्यमंत्री, सांसद संजय झा एवं अधिकारियों के साथ केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी से हुई बैठक में बिहार का इथेनॉल कोटा बढ़ाने पर सहमति बनी है।

विधान परिषद में प्रश्नोत्तर काल के दौरान मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने जल्द ही कोटा बढ़ाने और विपणन व्यवस्था सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि बिहार में कुल 13 डेडिकेटेड इथेनॉल इकाइयाँ कार्यरत हैं, जिनकी स्वीकृत उत्पादन क्षमता 1602.5 किलोलीटर प्रतिदिन है। बिहार

अनाज आधारित इथेनॉल उत्पादन में देश में अग्रणी है और राज्य सरकार इन उद्योगों के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

पहले रोजा को ही दूध की किल्लत से परेशान दिखे रोजेदार

अमौर -पहले रोजा को ही दूध की किल्लत से परेशान दिखे रोजेदार। अमौर प्रखंड क्षेत्र में रोजा पडते ही दूध की किल्लत का सामना रोजेदारों को करना पड़ रहा है। अमौर प्रखंड मुख्यालय के समीप स्थित स्टेट बैंक परिसर स्थित सुधार मिल्क पार्लर में सुबह से दूध लेने के लिए घंटा इंतजार करते दिखे रोजेदार।

शाम के 4:00 तक दूध की गाड़ी नहीं आने से रोजेदारों में खासा आक्रोश व्याप्त है। रोजेदारों ने कहा कि जब रोजा का समय आता है इसी तरह दूध की किल्लत से आम रोजेदारों को जूझना पड़ता है। रोजेदारों ने सरकार से दूध की आपूर्ति बहाल करने की मांग। मांग करने वालों में जमशेद आलम नूर कलाम, नुरुल इस्लाम, मुनाजिर,मुंतसिर आलम, एखलाख आलम, इलियास एवं सज्जाद आलम आदि शामिल है।

वहीं सुधा मिल्क पार्लर के प्रोपराइटर दीपक कुमार झा ने बताया कि दूध की खपत ज्यादा है और आपूर्ति काफी कम है। जिस कारण हम लोगों को पूरा दूध की आपूर्ति ऊपर से नहीं कर पता है।वही कोई भी पदाधिकारी हम लोगों की बात भी नहीं सुनता है ,हम लोग क्या कर सकते हैं।

मनीष कुमार सिंह व सोनू तोमर को निगम पार्षद ने किया भव्य स्वागत

सहरसा, अजय कुमार: नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 31 के कार्यालय विनोबा भावे आश्रम पूरब बाजार में खगड़िया के चर्चित शिक्षक नेता, पूर्व प्रत्याशी खगड़िया विधानसभा सह नगर परिषद खगड़िया सभापति प्रतिनिधि मनीष कुमार सिंह, तथा बिहार विकास मोर्चा के संरक्षक सह संयोजक सोनू तोमर का मिथिला की पारंपरिक पोशाक पाग और चादर से निगम पार्षद आशीष रंजन सिंह ने स्वागत कर सम्मानित किया। मीडिया से बात करते हुए शिक्षक नेता मनीष कुमार सिंह ने कहा मै नगर निगम के चुनाव में आशीष जी के पक्ष में वोट मांगने वार्ड के जनता मालिक से आया था।

वार्ड के सड़क की जर -जर स्थिति को देख कर कई वादा किया था। आज दो ढाई साल बाद जब आया तो वार्ड काफी सुंदर दिख रहा है। कई सड़क, नाला निर्माण हुआ तथा कई में गुणवतापूर्ण काम चल रहा हैं। जहां इस वार्ड के प्रतिनिधि दो – दो बार नगर परिषद का सभापति किए मगर विकास कही नजर नहीं आ रहा था। आज वार्ड में कई स्ट्रीट लाईट लगे हुए हैं, सड़क चकाचक दिखता है साफ सफाई पहले से बेहतर दिख रहा हैं।

वही सोनू तोमर ने कहा वार्ड की महान जनता ने युवा, ईमानदार एवं मेहनती पार्षद चुने है, चौमुखी विकास, करप्शन मुक्त वार्ड दिखेगा ही। कार्यालय में उपस्थित सत्यनारायण भगत, उमेश साह, मनीष विश्वास, मोहम्मद आजाद, निशांत कुमार सिंह, ऋतु राज, बादल सिंह, लक्की यादव बबलू गुप्ता आदि लोगों ने पुष्प गुच्छा देकर अतिथियों का स्वागत किया।

मदनी जामा मस्जिद में रात के अंधेरे में चोरी, इन्वर्टर-बैटरी समेत सामान गायब

पूर्णिया, विमल किशोर: अमौर थाना क्षेत्र के सहनगाँव वार्ड संख्या 16 स्थित मरनी जामा मस्जिद में बीती रात अज्ञात चोरों ने धावा बोलते हुए मस्जिद परिसर से इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और ध्वनि विस्तारक यंत्र सहित अन्य सामान चोरी कर लिया।

मस्जिद कमेटी के सदस्य मोहम्मद नियाज आलम ने अमौर थाना में लिखित शिकायत देकर बताया कि चोर खिड़की तोड़कर अंदर घुसे और ताले में बंद सामान को भी क्षतिग्रस्त कर अपने साथ ले गए। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है और लोगों ने पुलिस से त्वरित कार्रवाई कर चोरी गए सामान की बरामदगी की मांग की है।

बताया जाता है कि इससे पहले भी मस्जिद में चोरी की घटना सामने आ चुकी है। मामले को लेकर स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और थाना अध्यक्ष अवधेश कुमार ने कहा कि आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

बागढर में नशे में उपद्रव कर रहे चार युवक पुलिस के हत्थे चढ़े

पूर्णिया, विमल किशोर: अमौर थाना क्षेत्र की धुरपैली पंचायत के बागढर गांव में शराब के नशे में हंगामा कर रहे चार युवकों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है।

पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुअनि मो. बाबुद्दीन के नेतृत्व में टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गांव पहुंचकर सार्वजनिक स्थल पर शोर-शराबा कर रहे युवकों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान सुभाष कुमार, त्रिदेव कुमार, कमल देव विश्वास और पांडव कुमार के रूप में हुई है, जो नशे की हालत में ग्रामीणों के बीच अशांति फैला रहे थे।

थानाध्यक्ष अवधेश कुमार ने बताया कि शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने और शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है तथा आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।

221.79 ग्राम स्मैक व नकदी के साथ तीन गिरफ्तार

पूर्णिया: पूर्णिया में 18 फरवरी 2026 को सदर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 221.79 ग्राम स्मैक और 43,510 रुपये नकद बरामद किए तथा दो पुरुष और एक महिला अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार आरोपितों की पहचान गोपी कुमार (22 वर्ष), पिता प्रदीप शर्मा, निवासी लकड़ीपट्टी वार्ड संख्या 39 तथा मजहर आलम (40 वर्ष), पिता स्वर्गीय मोहम्मद लाल, निवासी जीरोमाइल कब्रिस्तान टोला, थाना सदर, जिला पूर्णिया के रूप में हुई है।

पुलिस ने बताया कि मामले में अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। बरामद मादक पदार्थ और नकदी को जब्त कर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

फर्जी 'म्यूल' सिम बेचकर इंस्टाग्राम पर महिला की तस्वीर वायरल करने वाले दो गिरफ्तार

पूर्णिया: पूर्णिया पुलिस के साइबर थाना ने फर्जी सिम कार्ड की खरीद-बिक्री कर सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर एक महिला की तस्वीर वायरल करने के मामले का खुलासा करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। तकनीकी अनुसंधान और आसूचना संकलन के आधार पर 18 फरवरी को रूपक कुमार उर्फ सूरज कुमार (निवासी सरसी, वार्ड 13) और सुमन कुमार (निवासी सरसी, वार्ड 17, मझुआ प्रेमराज मिलिख, थाना-सरसी) से पूछताछ की गई, जिसमें दोनों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की।

इस संबंध में साइबर थाना कांड संख्या 13/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं तथा आईटी एक्ट की धाराओं 66, 66C, 66E, 67 और 67A के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरफ्तारी की कार्रवाई विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत की गई और दोनों आरोपितों को न्यायिक प्रक्रिया के लिए माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

छापेमारी दल में आरीज एहकाम, राजेश कुमार गुप्ता, मनीष चन्द्र यादव एवं सिपाही मनोज कुमार मरांडी शामिल रहे। पुलिस ने कहा है कि साइबर अपराध में संलिप्त लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

एयरफोर्स में तैनात बेहटा निवासी शिवशंकर चौधरी का सड़क दुर्घटना में मौत,शोक की लहर

सहरसा, अजय कुमार: जिले के सोनवर्षा राज थाना क्षेत्र अंतर्गत बेहटा निवासी एयरफोर्स में तैनात वारंट आफिसर शिवशंकर चौधरी का सड़क हादसे में अचानक मौत हो गई। जिसके कारण सम्पूर्ण ग्रामीणों एवं परिवार में शोक की लहर व्याप्त है। मृतक के बड़े भाई चंद्रशेखर चौधरी ने बताया कि बड़ौदा में तैनात शिवशंकर चौधरी अपने ड्यूटी पर जाने के लिए अपने आवास से निकाला ही था।

जहां अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। जिससे घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ज्ञात हो कि मृतक सोनबरसा प्रखंड बेहटा गांव निवासी स्व उग्रनारायण चौधरी का छोटा पुत्र था। उनके निधन कि सूचना मिलते ही सम्पूर्ण जिले में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतक दो भाई एक बहन है।

सेवा महज दस दिन ही बचा था 28 फरवरी को सेवा निवृत्त होने वाले थे। महज डेढ़ माह पूर्व मृतक अपने पिता का श्राद्ध कर्म कर अपने गांव से गया था। मृतक अपने पीछे पत्नी रश्मि चौधरी दो पुत्री नेहा चौधरी, स्नेहा चौधरी व एक पुत्र शुभम चौधरी को छोड़कर गए। उनका श्राद्ध कर्म गांव में ही होगा।

पूर्णिया में बाल श्रम विमुक्ति अभियान: 6 बच्चों को मुक्त कर बाल कल्याण समिति को सौंपा

पूर्णिया: समाहरणालय पूर्णिया के श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के तत्वाधान में जिला पदाधिकारी श्री अंशुल कुमार की अध्यक्षता में गठित धावादल ने गुरुवार को श्रीनगर और के0 नगर प्रखंड में विशेष अभियान चलाकर बाल श्रमिकों को मुक्त कराया।

अभियान में श्रम प्रबंधक, सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि और पुलिस बल शामिल थे। इस दौरान कुल 6 बाल श्रमिकों को विभिन्न दुकानों, होटलों, ढाबों और प्रतिष्ठानों से मुक्त कर बाल कल्याण समिति को सुपुर्द किया गया। दोषी नियोजकों के खिलाफ बाल श्रमिक एवं किशोर (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और प्रति बाल श्रमिक 20,000 से 50,000 रुपये जुर्माना वसूलने का आदेश दिया गया है।

साथ ही प्रत्येक बाल श्रमिक के पुनर्वास के लिए नियोजक को 20,000 रुपये जमा करने का निर्देश जारी किया गया है। विमुक्त बाल श्रमिकों को तत्काल 3,000 रुपये आर्थिक सहायता दी गई और उनके खातों में 25,000 रुपये का सावधि जमा (Fixed Deposit) किया गया। इसके अलावा, उनके परिवार को राज्य की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा, जिससे बच्चों और परिवार को दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

हॉकी खेल का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सहरसा में खोलने की मांग

सहरसा, अजय कुमार: आयुक्त कोशी प्रमंडल बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना, खेल मंत्री बिहार सरकार को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि सहरसा में अन्य खेलों के साथ हॉकी खेल के विकास हेतु सेंटर आफ एक्सीलेंस एवं मिनी स्टेडियम हो जिसमें कम से कम दो हजार से पांच हजार दर्शक बैठकर देख सके। जानकारी हो की गंगा के इस पार यानी उत्तर बिहार में हॉकी खेल को खेलने के लिए एक भी हॉकी टर्फ मैदान नहीं है टर्फ मैदान नहीं रहने के कारण खिलाड़ियों का पूर्ण कौशल का विकास नहीं हो पा रहा है।

बिहार सरकार के स्कीम में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने का प्रावधान है। सहरसा में हॉकी खेल एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा ही चलाया जा रहा है जबकि आज तक सरकार की ओर से कोई भी सहायता नहीं दी गई है। जबकि वर्तमान में जिला पदाधिकारी सहरसा दीपेश कुमार द्वारा हॉकी खेल विकास के हेतु हॉकी का अभ्यास हेतु पटेल मैदान उपलब्ध करवाए है।

जहां बच्चे रोज-दिन अभ्यास करते हैं। मैं आपको जानकारी दूं कि इस कठिन परिस्थिति में भी यहां के खिलाड़ी जिला से राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेते आ रहे हैं। समाचार पत्र के माध्यम से हॉकी एसोसिएशन आफ सहरसा जानकारी देना चाहता है कि हॉकी खेल के विकास हेतु हॉकी खेल का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सहरसा में खुलना चाहिए।

स्वच्छता पर्यवेक्षकों का एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न

पूर्णिया, अभय कुमार सिंह: प्रखंड के सभी स्वच्छता पर्यवेक्षकों को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यषाला का आयोजन किया गया। इन्हें मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण दिया गया है । इसकी अगुवायी बीडीओ अरविंद कुमार कर रहे थे। इस कार्यषाला का आयोजन सिंहपुर दियारा पंचायत स्थित अपशिष्ट प्रबंधन इकाई भवन में किया गया।

मौके पर प्रशिक्षण के दौरान बीडीओ अरविंद कुमार ने सभी स्वच्छता पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देते हुए बताया कि कैसे अपशिष्ट प्रबंधन इकाई की परिसंपत्तियों का रख-रखाव एवं प्रबंधन किया जाता है। सभी पर्यवेक्षकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में पूरी तरह से प्रशिक्षित किया गया। उन्हें निर्देश दिया गया कि सभी पंचायत पर्यवेक्षक अब मास्टर ट्रेनर के रूप में पंचायत के सभी स्वच्छताग्रहियों को ठीक इसी तरह प्रशिक्षण देंगे, ताकि अपशिष्ट प्रबंधन इकाई की परिसंपत्तियों का रख-रखाव समुचित रूप से हो सके।

स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा, शत-प्रतिशत ANC और टीकाकरण पर जोर

पूर्णिया: पूर्णिया में महानंदा सभागार में जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा कर सुधार के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सभी गर्भवती महिलाओं की शत-प्रतिशत प्रसवपूर्व जांच (ANC), संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने, समय पर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने और आशा कार्यकर्ताओं की शेष रिक्तियों को दस दिनों में भरने का निर्देश दिया। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में सभी लक्षित शिशुओं के पूर्ण टीकाकरण पर भी जोर दिया गया।

साथ ही टीबी कार्यक्रम में मरीजों की पहचान, पोषण सहायता और टीबी मुक्त पंचायतों के चयन, परिवार नियोजन, बंध्याकरण, गर्भनिरोधक वितरण तथा अति कुपोषित बच्चों के एनआरसी में नामांकन पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। बैठक में स्वास्थ्य विभाग एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

मोहनपुर में हार्डवेयर दुकान चोरी का खुलासा, चार आरोपी गिरफ्तार

पूर्णिया: पूर्णिया जिले के मोहनपुर थाना पुलिस ने 18 फरवरी 2026 को बड़ी कार्रवाई करते हुए हार्डवेयर दुकान से चोरी किए गए सामान के साथ चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान सीट कवर, क्लच एक्सलेटर वायर, इंडिकेटर, साइड स्टैंड, गियर शाफ्ट, गियर लीवर, क्लच प्लेट, टंकी लॉक, कूलेंट, रस्सी, मोटर और ताला सहित अन्य सामान बरामद किया।

गिरफ्तार आरोपितों की पहचान रोहित कुमार (19 वर्ष), निवासी रुपौली थाना रुपौली; अंकित कुमार (20 वर्ष) और शिवशंकर कुमार (24 वर्ष), दोनों निवासी नवटोलिया थाना मोहनपुर, जिला पूर्णिया; तथा ज्ञानचंद्र कुमार (38 वर्ष), निवासी अरजपुर थाना चौसा, जिला मधेपुरा के रूप में हुई है। पुलिस ने सभी आरोपितों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत एक को 3 वर्ष कारावास एवं आर्थिक दंड की सजा

विधि संवाददाता पूर्णिया: 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाले इस वर्ष के प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णिया कन्हैया जी चौधरी के निर्देशनुसार 18 फरबरी 2026 को अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार सुनील कुमार की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गयी।

इस बैठक में श्रम विभाग के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी शुभम प्रियदर्शी उपस्थित हुए। माप-तौल से संबंधित मामलों के लिए निरीक्षक विधिक माप विज्ञान पूर्णिया सदर के प्रभारी अधिकारी उपस्थित हुए। बिजली विभाग के कार्यपालक विद्युत अभियंता बालवीर प्रसाद वागीश एवं नवीन मंडल बैठक में उपस्थित हुए। भारत संचार निगम लिमिटेड पूर्णिया के अनुमंडल पदाधिकारी श्रीमती ज्योति कुमारी बैठक में उपस्थित हुई।

बैठक में सचिव महोदय द्वारा यह निर्देश दिया गया कि अपने-अपने विभागों से संबंधित मामलों को अधिक से अधिक संख्या में चिन्हित करें। चिन्हित मामलों में पक्षकार को सूचना प्राप्त कराने हेतु यथाशीघ्र नोटिस तैयार करें एवं कार्यालय से हस्ताक्षर करावें। उक्त लोक अदालत के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु अपने-अपने विभागों के कार्यालय परिसर में बैनर लगवाएँ तथा समय-समय पर ध्वनि-विस्तारक यंत्र के माध्यम से भी प्रसार-प्रसार करावें।

ज्ञात हो कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक मामले, प्ली बार्गेनिंग के मामले, धारा 138 एन0आई0 एक्ट के मामले, बैंक वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना दावा वाद, शमनीय ट्रैफिक चालान, श्रम विवाद, जनउपयोगी सेवाएँ से संबंधित मामले जैसे बिजली एवं पानी बिल, तलाक छोड़कर वैवाहिक विवाद, भू-अधिग्रहण के मामले, सेवा एवं पेंशन संबंधित मामले, उपभोक्ता से संबंधित मामले, राजस्व से संबंधित मामले एवं अन्य दीवानी वादों का सुलह समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा।

एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत एक को 3 वर्ष कारावास एवं आर्थिक दंड की सजा

विधि संवाददाता पूर्णिया: एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियुक्त को 3 वर्ष कारावास एवं 10 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। आर्थिक दंड की राशि नहीं दिए जाने पर अभियुक्त को एक माह अतिरिक्त कारावास होगी। यह सजा द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष (एन0डी0पी0एस0) न्यायाधीश ठाकुर अमन कुमार के न्यायालय में स्पेशल (एन0डी0पी0एस0) केस नंबर 23/2024 के तहत से दिया गया है। मामला सदर थाना कांड संख्या 1036/2023 पर आधारित था।

घटना 20 दिसंबर 2023 को दिन के 2:30 बजे की है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने तलाशी के दौरान अभियुक्त मनीष कुमार के पास से करीब 50.5 ग्राम स्मैक बरामद किया था। इस मामले में एन0डी0पी0एस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक शंभू आनंद ने बताया कि सदर थाना के तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक अजीत कुमार दास को गश्ती के दौरान सूचना मिली की लाइन बाजार में एक ज्वेलरी शॉप के सामने चाय ठेला के पास एक हटा-कट्टा व्यक्ति स्मैक लेकर बेचने के लिए खड़ा है।

पुलिस अवर निरीक्षक ने तलाशी के दौरान अभियुक्त के ट्राउजर के बाय पॉकेट से प्लास्टिक का सफेद सील बंद पाउच जप्त किया जिसमें उक्त स्मैक था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल चार गवाहों को प्रस्तुत किया गया। गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाए जाने के बाद अभियुक्त को उपरोक्त सजा सुनाई गई।

जीएमसीएच पूर्णिया के एनआरसी में कुपोषित बच्चों को मिल रही समग्र उपचार व पोषण सुविधा

पूर्णिया: राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पूर्णिया में संचालित पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) के माध्यम से जिले के कुपोषण एवं गंभीर कुपोषण से पीड़ित बच्चों को विशेषज्ञ चिकित्सा और पोषण परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार छह माह से अधिक आयु के उन बच्चों को भर्ती किया जाता है जिनमें बायलैटरल पेडल एडिमा, मध्य ऊपरी भुजा परिधि (MUAC) कम या लंबाई के अनुसार वजन कम पाया जाता है, वहीं छह माह से कम आयु के शिशुओं में अपर्याप्त स्तनपान या उम्र के अनुरूप कम वजन होने पर भी आवश्यकतानुसार भर्ती की व्यवस्था है।

एनआरसी में एफ-सैम प्रशिक्षित चिकित्सा पदाधिकारी, पोषण सलाहकार और स्टाफ नर्सों की देखरेख में बच्चों को चिकित्सकीय देखभाल, विशेष आहार और नियमित निगरानी दी जाती है तथा लगातार तीन दिनों तक प्रतिदिन 5 ग्राम प्रति किलोग्राम वजन वृद्धि या भर्ती के समय के वजन से 15 प्रतिशत बढ़ोतरी होने पर स्वस्थ घोषित कर घर भेजा जाता है। सिविल सर्जन डॉ प्रमोद कुमार कनौजिया ने बताया कि आमजन अपने आसपास के कुपोषित बच्चों की पहचान कर नजदीकी आंगनवाड़ी या स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें एनआरसी भेजा जा सके।

डीपीसी डॉ सुधांशु शेखर ने जानकारी दी कि दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच कुल 36 बच्चों को उपचार के बाद स्वस्थ कर घर भेजा गया है, जबकि एनआरसी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ रजनीश सिंह ने कहा कि भर्ती बच्चों के टीकाकरण की स्थिति भी सुनिश्चित की जाती है, जिससे वे पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर सामान्य जीवन जी सकें।

बजट सत्र में विधायक विजय खेमका ने उठाए जनप्रतिनिधियों, किसानों और विकास से जुड़े मुद्दे

पूर्णिया: विजय खेमका ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शून्यकाल में पंचायत एवं नगर निकाय जनप्रतिनिधियों के मानदेय वृद्धि, किसानों को प्रोत्साहन और क्षेत्रीय विकास से जुड़े कई अहम विषयों को सदन में प्रमुखता से रखा। उन्होंने वर्ष 2025 में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के भत्ते में हुई वृद्धि का उल्लेख करते हुए जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्यों और नगर निगम वार्ड पार्षदों के मासिक मानदेय में भी समुचित बढ़ोतरी की मांग की, ताकि सभी जनप्रतिनिधियों को समान सुविधा मिल सके।

कृषि क्षेत्र पर बोलते हुए विधायक ने गोदाम निर्माण और कृषि आधारित उद्योगों के लिए बंद पड़ी अनुदान योजना को शीघ्र पुनः प्रारंभ करने का आग्रह किया तथा सब्जी उत्पादक किसानों को नुकसान से बचाने के लिए प्रखंड स्तर पर कोल्ड स्टोरेज निर्माण की आवश्यकता जताई। उन्होंने पूर्णिया अंचल कार्यालय में परिमार्जन, मोटेशन और सीमांकन से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन की भी मांग की।

साथ ही पूर्णिया ईस्ट प्रखंड के प्रभास महाराज मंदिर से फहीम चौक मिल्की होते हुए पैक्स गोदाम तक तथा अँधेली स्थान टोला से अंधेली पथ निर्माण विभाग सड़क तक कच्ची सड़कों के पक्कीकरण का निवेदन सदन में प्रस्तुत किया। विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में विकास की रफ्तार तेज हुई है और केंद्र-राज्य के समन्वय से बिहार आधारभूत संरचना, कृषि, शिक्षा और शहरी विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है।

पूर्णिया विश्वविद्यालय में नशा उन्मूलन व बाल संरक्षण पर निबंध प्रतियोगिता

पूर्णिया: पूर्णिया विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा राज्यपाल सचिवालय के निर्देश एवं कुलपति विवेकानंद सिंह के मार्गदर्शन में "रीस्टोरिंग चाइल्डहुड: प्रीवेंटिंग ड्रग एब्यूज एंड इंटीग्रेशन ऑफ चिल्ड्रेन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन" विषय पर विश्वविद्यालय स्तरीय निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसका उद्देश्य वंचित बच्चों के संरक्षण और सार्वजनिक स्थलों पर बढ़ती नशाखोरी के प्रति जागरूकता फैलाना था।

छात्र वर्ग में पूर्णिया कॉलेज के चंद्रकांत कुमार, आदित्य मिश्रा, सईदुर रहमान व रधित राज तथा बीएमटी लॉ कॉलेज के रवि कुमार चयनित हुए। छात्रा वर्ग में फररूख सुल्तान, श्वेता सुमन, समृद्धि सिंह, मेघा कुमारी और मुस्कान कुमारी सफल रहीं। चयनित विद्यार्थी बिहार लोक भवन में आयोजित सेमिनार में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। कुलपति सहित विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी सफल प्रतिभागियों को बधाई दी।

पूर्णिया पर्यवेक्षण गृह का निरीक्षण, बाल-अनुकूल व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश

पूर्णिया: पूर्णिया समाहरणालय के निर्देश पर जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक अमरेश कुमार और बाल संरक्षण पदाधिकारी विवेक कुमार ने गुरुवार को पर्यवेक्षण गृह का निरीक्षण किया।

निरीक्षण में बच्चों की आवासीय व्यवस्था, स्वास्थ्य, भोजन, स्वच्छता, शिक्षा और कौशल विकास गतिविधियों की समीक्षा की गई। अधीक्षक व कर्मियों को बच्चों के साथ संवेदनशील व बाल-अनुकूल व्यवहार, नियमित काउंसलिंग और शैक्षणिक गतिविधियां मजबूत करने के निर्देश दिए गए।

अधिकारियों ने बताया कि बच्चे पढ़ाई में संलग्न हैं और व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं, जबकि पंजियों के अद्यतन, सुरक्षा और अनुशासन तंत्र को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया।

ट्रक सहित 3 टन प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली जब्त, एक गिरफ्तार

पूर्णिया: पूर्णिया जिले के बायसी थाना क्षेत्र में 18 फरवरी 2026 को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से लगभग 3 टन प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली बरामद की और एक आरोपी को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान मो. हलीम (33 वर्ष), पिता आलम शेख, निवासी सूरजापुर चसपारा वार्ड संख्या 53, थाना कालियाचक, जिला मालदा (पश्चिम बंगाल) के रूप में हुई है।

पुलिस ने मछली से लदे ट्रक को जब्त कर लिया है तथा मामले में संबंधित धाराओं के तहत आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार प्रतिबंधित प्रजाति की तस्करी रोकने के लिए लगातार निगरानी और छापेमारी अभियान जारी रहेगा।

कुरूक्षेत्र : रामधारी सिंह 'दिनकर' (हिन्दी कविता)

स्वप्न-सा देखा, सुयोधन कह रहा-
"ओ युधिष्ठिर, सिन्धु के हम पार हैं;
तुम चिढाने के लिए जो कुछ कहो,
किन्तु, कोई बात हम सुनते नहीं ।

"हम वहाँ पर हैं, महाभारत जहाँ
दीखता है स्वप्न अन्तःशून्य-सा,
जो घटित-सा तो कभी लगता, मगर,
अर्थ जिसका अब न कोई याद है ।

"आ गये हम पार, तुम उस पार हो;
यह पराजय या कि जय किसकी हुई ?
व्यंग्य, पश्चाताप, अन्तर्दाह का
अब विजय-उपहार भोगो चैन से।"

हर्ष का स्वर घूमता निस्सार-सा
लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में,
औ' युधिष्ठिर सुन रहे अव्यक्त-सा
एक रव मन का कि व्यापक शून्य का ।

'रक्त से सिंच कर समर की मेदिनी
हो गयी है लाल नीचे कोस-भर,
और ऊपर रक्त की खर धार में
तैरते हैं अंग रथ, गज, बाजि के ।

'किन्तु, इस विध्वंस के उपरान्त भी
शेष क्या है ? व्यंग ही तो भग्य का ?
चाहता था प्राप्त मैं करना जिसे
तत्व वह करगत हुआ या उड़ गया ?

'सत्य ही तो, मुष्टिगत करना जिसे
चाहता था, शत्रुओं के साथ ही
उड़ गये वे तत्त्व, मेरे हाथ में
व्यंग्य, पश्चाताप केवल छोड़कर ।

'यह महाभारत वृथा, निष्फल हुआ,
उफ ! ज्वलित कितना गरलमय व्यंग है ?
पाँच ही असहिष्णु नर के द्वेष से
हो गया संहार पूरे देश का !

'द्रौपदी हो दिव्य-वस्त्रालंकृता,
और हम भोगें अहम्मय राज्य यह,
पुत्र-पति-हीना इसी से तो हुई
कोटि माताएँ, करोड़ों नारियाँ !

'रक्त से छाने हुए इस राज्य को
वज्र हो कैसे सकूँगा भोग मैं ?
आदमी के खून में यह है सना,
और इसमें है लहू अभिमन्यु का' ।

वज्र-सा कुछ टूटकर स्मृति से गिरा,
दब गये कौन्तेय दुर्वह भार में ।
दब गयी वह बुद्धि जो अब तक रही
खोजती कुछ तत्त्व रण के भस्म में ।

भर गया ऐसा हृदय दुख-दर्द-से,
फेन य बुदबुद नहीं उसमें उठा !
खींचकर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे
'पार्थ, मैं जाता पितामह पास हूँ।'

और हर्ष-निनाद अन्तःशून्य-सा
लड़खड़ता मर रहा था वायु में ।
द्वितीय सर्गआयी हुई मृत्यु से कहा अजेय भीष्म ने कि
'योग नहीं जाने का अभी है, इसे जानकर,
रुकी रहो पास कहीं'; और स्वयं लेट गये बाणों का शयन, बाण का ही उपधान कर !
व्यास कहते हैं, रहे यों ही वे पड़े विमुक्त,
काल के करों से छीन मुष्टि-गत प्राण कर ।
और पंथ जोहती विनीत कहीं आसपास
हाथ जोड़ मृत्यु रही खड़ी शास्ति मान कर ।

श्रृंग चढ जीवन के आर-पार हेरते-से
योगलीन लेटे थे पितामह गंभीर-से ।
देखा धर्मराज ने, विभा प्रसन्न फैल रही
श्वेत शिरोरुह, शर-ग्रथित शरीर-से ।
करते प्रणाम, छूते सिर से पवित्र पद,
उँगली को धोते हुए लोचनों के नीर से,
"हाय पितामह, महाभारत विफल हुआ"
चीख उठे धर्मराज व्याकुल, अधीर-से ।

"वीर-गति पाकर सुयोधन चला गया है,
छोड़ मेरे सामने अशेष ध्वंस का प्रसार;
छोड़ मेरे हाथ में शरीर निज प्राणहीन,
व्योम में बजाता जय-दुन्दुभि-सा बार-बार;
और यह मृतक शरीर जो बचा है शेष,
चुप-चुप, मानो, पूछता है मुझसे पुकार-
विजय का एक उपहार मैं बचा हूँ, बोलो,
जीत किसकी है और किसकी हुई है हार ?

"हाय, पितामह, हार किसकी हुई है यह ?
ध्वन्स-अवशेष पर सिर धुनता है कौन ?
कौन भस्नराशि में विफल सुख ढूँढता है ?
लपटों से मुकुट क पट बुनता है कौन ?
और बैठ मानव की रक्त-सरिता के तीर
नियति के व्यंग-भरे अर्थ गुनता है कौन ?
कौन देखता है शवदाह बन्धु-बान्धवों का ?
उत्तरा का करुण विलाप सुनता है कौन ?
"जानता कहीं जो परिणाम महाभारत का,
तन-बल छोड़ मैं मनोबल से लड़ता;
तप से, सहिष्णुता से, त्याग से सुयोधन को
जीत, नयी नींव इतिहास कि मैं धरता ।
और कहीं वज्र गलता न मेरी आह से जो,
मेरे तप से नहीं सुयोधन सुधरता;
तो भी हाय, यह रक्त-पात नहीं करता मैं,
भाइयों के संग कहीं भीख माँग मरता ।

"किन्तु, हाय, जिस दिन बोया गया युद्ध-बीज,
साथ दिया मेर नहीं मेरे दिव्य ज्ञान ने;
उलत दी मति मेरी भीम की गदा ने और
पार्थ के शरासन ने, अपनी कृपान ने;
और जब अर्जुन को मोह हुआ रण-बीच,
बुझती शिखा में दिया घृत भगवान ने;
सबकी सुबुद्धि पितामह, हाय, मारी गयी,
सबको विनष्ट किया एक अभिमान ने ।

"कृष्ण कहते हैं, युद्ध अनघ है, किन्तु मेरे
प्राण जलते हैं पल-पल परिताप से;
लगता मुझे है, क्यों मनुष्य बच पाता नहीं
दह्यमान इस पुराचीन अभिशाप से ?
और महाभारत की बात क्या ? गिराये गये
जहाँ छल-छद्म से वरण्य वीर आप-से,
अभिमन्यु-वध औ' सुयोधन का वध हाय,
हममें बचा है यहाँ कौन, किस पाप से ?

"एक ओर सत्यमयी गीता भगवान की है,
एक ओर जीवन की विरति प्रबुद्ध है;
जनता हूँ, लड़ना पड़ा था हो विवश,
किन्तु,
लहू-सनी जीत मुझे दीखती अशुद्ध है;
ध्वंसजन्य सुख याकि सश्रु दुख
शान्तिजन्य,
ग्यात नहीं, कौन बात नीति के विरुद्ध है;
जानता नहीं मैं कुरुक्षेत्र में खिला है पुण्य,
या महान पाप यहाँ फूटा बन युद्ध है ।

"सुलभ हुआ है जो किरीट कुरुवंशियों का,
उसमें प्रचण्ड कोई दाहक अनल है;
अभिषेक से क्या पाप मन का धुलेगा कभी ?
पापियों के हित तीर्थ-वारि हलाहल है;
विजय कराल नागिनी-सी डँसती है मुझे,
इससे न जूझने को मेरे पास बल है;
ग्रहण करूँ मैं कैसे ? बार-बार सोचता हूँ,
राजसुख लोहू-भरी कीच का कमल है ।

"बालहीना माता की पुकार कभी आती, और
आता कभी आर्त्तनाद पितृहीन बाल का;
आँख पड़ती है जहाँ, हाय, वहीं देखता हूँ
सेंदुर पुँछा हुआ सुहागिनी के भाल का;
बाहर से भाग कक्ष में जो छिपता हूँ कभी,
तो भी सुनता हूँ अट्टहास क्रूर काल का;
और सोते-जागते मैं चौंक उठता हूँ, मानो
शोणित पुकारता हो अर्जुन के लाल का ।

"जिस दिन समर की अग्नि बुझ शान्त हुई,
एक आग तब से ही जलती है मन में;
हाय, पितामह, किसी भाँति नहीं देखता हूँ
मुँह दिखलाने योग्य निज को भुवन मे
ऐसा लगता है, लोग देखते घृणा से मुझे,
धिक् सुनता हूँ अपने पै कण-कण में;
मानव को देख आँखे आप झुक जातीं, मन
चाहता अकेला कहीं भाग जाऊँ वन में ।

"करूँ आत्मघात तो कलंक और घोर होगा,
नगर को छोड़ अतएव, वन जाऊँगा;
पशु-खग भी न देख पायें जहाँ, छिप किसी
कन्दरा में बैठ अश्रु खुलके बहाऊँगा;
जानता हूँ, पाप न धुलेगा वनवास से भी,
छिप तो रहूँगा, दुःख कुछ तो भुलऊँगा;
व्यंग से बिंधेगा वहाँ जर्जर हृदय तो नहीं,
वन में कहीं तो धर्मराज न कहाऊँगा।"

और तब चुप हो रहे कौन्तेय,
संयमित करके किसी विध शोक दुष्परिमेय
उस जलद-सा एक पारावार
हो भरा जिसमें लबालब, किन्तु, जो लाचार
बरस तो सकता नहीं, रहता मगर बेचैन है ।

भीष्म ने देखा गगन की ओर
मापते, मानो, युधिष्ठिर के हृदय का छोर;
और बोले, 'हाय नर के भाग !
क्या कभी तू भी तिमिर के पार
उस महत् आदर्श के जग में सकेगा जाग,
एक नर के प्राण में जो हो उठा साकार है
आज दुख से, खेद से, निर्वेद के आघात से ?'

औ' युधिष्ठिर से कहा, "तूफान देखा है कभी ?
किस तरह आता प्रलय का नाद वह करता हुआ,
काल-सा वन में द्रुमों को तोड़ता-झकझोरता,
और मूलोच्छेद कर भू पर सुलाता क्रोध से
उन सहस्त्रों पादपों को जो कि क्षीणाधार हैं ?
रुग्ण शाखाएँ द्रुमों की हरहरा कर टूटतीं,
टूट गिरते गिरते शावकों के साथ नीड़ विहंग के;
अंग भर जाते वनानी के निहत तरु, गुल्म से,
छिन्न फूलों के दलों से, पक्षियों की देह से ।
पर शिराएँ जिस महीरुह की अतल में हैं गड़ी,
वह नहीं भयभीत होता क्रूर झंझावात से ।
सीस पर बहता हुआ तूफान जाता है चला,
नोचता कुछ पत्र या कुछ डालियों को तोड़ता ।
किन्तु, इसके बाद जो कुछ शेष रह जाता, उसे,
(वन-विभव के क्षय, वनानी के करुण वैधव्य को)
देखता जीवित महीरुह शोक से, निर्वेद से,
क्लान्त पत्रों को झुकाये, स्तब्ध, मौनाकाश में,
सोचता, 'है भेजती हुमको प्रकृति तूफान क्यों ?'

शेष पढ़े कल के अंक में ...

जाति-धर्म की सियासत और संविधान की कसौटी पर लोकतांत्रिक भारत

सम्पादकीय नंदकिशोर
अध्यक्ष -प्रेस क्लब पूर्णिया
बीएसपीएस,बिहार

भारत की सभ्यता ने दुनिया को वसुधैव कुटुम्बकम का विचार दिया—यह विश्वास कि पूरी पृथ्वी एक परिवार है। यही भाव भारतीय लोकतंत्र की आत्मा भी रहा है, जहां विविधता को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति माना गया। लेकिन आज वही लोकतांत्रिक भारत जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र की संकीर्ण राजनीति के ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिखाई देता है, जिसने न केवल सामाजिक ताने-बाने को कमजोर किया है, बल्कि संविधान की मूल भावना—स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व—को भी कठघरे में खड़ा कर दिया है। यह स्थिति अचानक पैदा नहीं हुई है, इसके पीछे दशकों की वह राजनीति है, जो सत्ता के लिए समाज को टुकड़ों में बांटने को रणनीति मानती रही है।

स्वतंत्र भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अवसर और गरिमा देने का वादा करता है। लेकिन व्यवहार में, इस वादे की आड़ में कई बार ऐसी नीतियां और राजनीतिक भाषाएं गढ़ी गईं, जिन्होंने समाज के एक हिस्से को दूसरे के विरुद्ध खड़ा किया। सामाजिक न्याय का विचार, जो ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने का माध्यम था, धीरे-धीरे सियासी औजार बनता चला गया। परिणाम यह हुआ कि 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' की जगह 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' जैसे नारे राजनीति के केंद्र में आ गए। समस्या बहुजन या वंचित वर्गों के अधिकारों की नहीं है, समस्या उस राजनीति की है जो अधिकारों के नाम पर स्थायी विभाजन को बढ़ावा देती है।

आज स्थिति यह है कि जाति आधारित पहचान, धार्मिक भावनाएं और क्षेत्रीय अस्मिताएं चुनावी रणनीति का मुख्य आधार बन चुकी हैं। इससे समाज में अविश्वास और आक्रोश का माहौल गहराता जा रहा है। सामान्य जातियों के बीच यह भावना पनप रही है कि उन्हें लक्षित पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दूसरी ओर वंचित वर्गों में यह आशंका बनी रहती है कि उनके अधिकारों पर हमला हो रहा है। राजनीति की यह खींचतान लोकतंत्र को मजबूत करने के बजाय उसे कमजोर कर रही है, क्योंकि लोकतंत्र का मूल उद्देश्य नागरिकों को जोड़ना है, न कि उन्हें स्थायी रूप से खांचों में बांटना।

इतिहास गवाह है कि जब भी सत्ता ने समाज को बांटने का सहारा लिया, उसके परिणाम घातक हुए। 1947 का विभाजन केवल राजनीतिक घटना नहीं था, वह उस सोच का परिणाम था, जिसमें पहचान को इंसानियत से ऊपर रखा गया। दुर्भाग्यवश, आज भी वही प्रवृत्तियां नए रूप में सामने आ रही हैं—कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, तो कभी क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर। यह स्थिति किसी एक दल या विचारधारा तक सीमित नहीं है, यह एक व्यापक राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है।

संविधान के संरक्षक माने जाने वाले संस्थानों और पदों की भूमिका इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। जब राजनीतिक नेता या संवैधानिक पदों पर बैठे लोग ऐसे बयान देते हैं, जो समाज में वैमनस्य को बढ़ावा दें, तो यह केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न नहीं रहता, बल्कि संवैधानिक नैतिकता का भी सवाल बन जाता है। हाल के वर्षों में यह बहस तेज हुई है कि नफरत भरे भाषणों पर नियंत्रण कैसे हो और किस हद तक हो। यह संतुलन कठिन जरूर है, लेकिन अनिवार्य भी है, क्योंकि लोकतंत्र में स्वतंत्रता बिना जिम्मेदारी के नहीं चल सकती।

इसी संदर्भ में Supreme Court of India की टिप्पणियां महत्वपूर्ण हैं। न्यायालय ने बार-बार यह रेखांकित किया है कि राजनीतिक नेताओं की जिम्मेदारी आम नागरिकों से कहीं अधिक है, क्योंकि उनके शब्द समाज पर गहरा प्रभाव डालते हैं। हालिया सुनवाइयों में न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना ने स्पष्ट कहा कि राजनीतिक नेताओं को देश में भाईचारा बढ़ाने का काम करना चाहिए, न कि समाज को बांटने का। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि यदि दिशानिर्देश बना भी दिए जाएं, तो उनका पालन कौन सुनिश्चित करेगा, क्योंकि भाषण विचारों से जन्म लेते हैं और विचारों को नियंत्रित करना आसान नहीं है।

वहीं न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची ने इस बात पर चिंता जताई कि हेट स्पीच को लेकर सिद्धांत पहले से मौजूद हैं, लेकिन उनका प्रभावी क्रियान्वयन बड़ी चुनौती बना हुआ है। अदालत ने यह स्वीकार किया कि सामाजिक माहौल विषैला होता जा रहा है, लेकिन केवल चुनिंदा नेताओं को निशाना बनाने के बजाय व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। यही वह बिंदु है, जहां समस्या की जड़ दिखाई देती है—हम अक्सर लक्षणों पर बहस करते हैं, कारणों पर नहीं।

हाल ही में दायर एक जनहित याचिका में मांग की गई थी कि संवैधानिक पदों या सार्वजनिक कार्यालयों पर बैठे लोगों के भाषणों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश तय किए जाएं, ताकि वे दूसरों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करें। इस याचिका में कुछ मुख्यमंत्रियों के कथित नफरती बयानों का हवाला भी दिया गया था, जिनमें हिमंत बिस्व सरमा, पुष्कर सिंह धामी और योगी आदित्यनाथ जैसे नाम शामिल थे। हालांकि अदालत ने इसे आंशिक और चयनात्मक मानते हुए अधिक व्यापक याचिका दायर करने का सुझाव दिया। यह फैसला अपने आप में यह संकेत देता है कि समस्या व्यक्तियों से अधिक प्रवृत्तियों की है।

नफरत भरी राजनीति केवल भाषणों तक सीमित नहीं है, यह नीतियों, कानूनों और प्रशासनिक फैसलों में भी झलकती है। जब किसी समूह के ऐतिहासिक संदर्भों को आधार बनाकर वर्तमान पीढ़ी को दोषी ठहराया जाता है, तो यह न्याय नहीं, बल्कि सामूहिक दंड की मानसिकता को जन्म देता है। इससे समाज में स्थायी असंतोष पनपता है, जो लोकतांत्रिक स्थिरता के लिए घातक है।

स्थिति को और जटिल बनाता है सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता प्रभाव। आज नफरत फैलाने वाले संदेश कुछ सेकंड में लाखों लोगों तक पहुंच जाते हैं। एआई-जनरेटेड डीपफेक, भ्रामक वीडियो और लक्षित प्रचार ने लोकतंत्र के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। चुनाव अब केवल नीतियों और कार्यक्रमों की प्रतिस्पर्धा नहीं रह गए हैं, वे भावनाओं, डर और पहचान की राजनीति का अखाड़ा बनते जा रहे हैं। यदि समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का विश्वास ही डगमगा सकता है।

इस पूरे परिदृश्य में चुनाव आयोग, न्यायपालिका और मीडिया की भूमिका निर्णायक हो जाती है। चुनाव आयोग को न केवल आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर, बल्कि समाज को बांटने वाली भाषा पर भी त्वरित और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 153A और 295A तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की प्रासंगिक धाराएं केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका निष्पक्ष और समान रूप से उपयोग हो। कानून का डर तभी प्रभावी होता है, जब उसका प्रयोग चयनात्मक न होकर सार्वभौमिक हो।

साथ ही, राजनीतिक दलों को भी आत्ममंथन करना होगा। टिकट वितरण से लेकर मंत्रिमंडल गठन तक, जाति और धर्म के समीकरणों से ऊपर उठने का साहस दिखाना होगा। आंतरिक लोकतंत्र, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किए बिना बाहरी लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। यह भी आवश्यक है कि राजनीतिक दल अपने नेताओं की भाषा और आचरण के लिए स्पष्ट आचार संहिता बनाएं और उसका उल्लंघन होने पर कार्रवाई करें। लेकिन समाधान केवल कानूनी या संस्थागत सुधारों तक सीमित नहीं हो सकता। सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर भी गहरे प्रयासों की जरूरत है। शिक्षा प्रणाली में ऐसे पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए, जो बच्चों को विविधता में एकता का अर्थ समझाएं। इतिहास को न तो महिमामंडित करने की जरूरत है और न ही उसे हथियार बनाने की, उसे समझने और उससे सीखने की जरूरत है। धर्मगुरुओं, सामाजिक नेताओं और बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि वे समाज को जोड़ने वाली भाषा और विचार को आगे बढ़ाएं।

अंततः लोकतंत्र की रक्षा केवल अदालतों या आयोगों से नहीं होगी, यह काम नागरिकों को भी करना होगा। मतदाताओं को यह समझना होगा कि जाति, धर्म या क्षेत्र के नाम पर मांगा गया वोट अंततः उनके अपने भविष्य को ही कमजोर करता है। जब वोट नीतियों, विकास और सुशासन के आधार पर पड़ेगा, तभी विभाजनकारी राजनीति अप्रभावी होगी।

भारत की ताकत उसकी विविधता में है, लेकिन यह विविधता तभी शक्ति बनेगी, जब उसे जोड़ने वाला दृष्टिकोण हावी होगा। यदि राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्ति रह जाएगा और समाज को बांटना उसका साधन बनता रहेगा, तो लोकतंत्र का क्षरण अवश्यंभावी है। आज जरूरत इस बात की है कि हम वसुधैव कुटुम्बकम को केवल नारा नहीं, बल्कि व्यवहार बनाएं। संविधान ने हमें जो मूल्य दिए हैं, वे केवल पुस्तकों के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा की राजनीति और समाज के लिए हैं।

यह समय चेतने का है। यदि आज भी हमने विभाजन की राजनीति को नकारने का साहस नहीं दिखाया, तो कल इतिहास हमें कठघरे में खड़ा करेगा। लोकतंत्र की असली परीक्षा चुनाव जीतने में नहीं, बल्कि समाज को जोड़कर रखने में है। और यही परीक्षा आज भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है।

वैश्विक मंच पर भारत, लेकिन भीतर से खोखला होता 'इनोवेशन मॉडल

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि भारत वैश्विक एआई विमर्श का केंद्र बन सकता है। लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसी घटनाएं यह भी बताती हैं कि यदि भीतर की कमजोरियों को दूर नहीं किया गया, तो यह नेतृत्व केवल प्रतीकात्मक रह जाएगा। भारत को यह तय करना होगा कि वह एआई के क्षेत्र में वास्तविक निर्माता बनना चाहता है या केवल मंचों और सम्मेलनों का चमकदार मेजबान।

भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 केवल एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन नहीं, बल्कि बदलती वैश्विक शक्ति-संरचना में भारत की नई भूमिका का प्रतीक बनकर सामने आया है। 20 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 60 से ज्यादा मंत्री और लगभग 500 वैश्विक एआई अग्रणी इस सम्मेलन में शामिल होकर यह संकेत दे रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर होने वाली किसी भी गंभीर चर्चा में भारत को अब नजरअंदाज करना संभव नहीं है। यह पहली बार है जब एआई पर इस स्तर का वैश्विक शिखर सम्मेलन ग्लोबल साउथ में आयोजित हुआ है, और यही तथ्य इसे ऐतिहासिक बनाता है।

दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित यह समिट भारत के उस दावे को मजबूत करता है, जिसमें वह स्वयं को केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि नीति, नैरेटिव और दिशा तय करने वाला देश बताना चाहता है। सरकार का यह कहना कि इस मंच पर समावेशी विकास, सार्वजनिक प्रणालियों को मजबूत करने और सतत विकास में एआई की भूमिका पर वैश्विक मंथन होगा—सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल सही है। वास्तव में, भारत जैसे देश के लिए एआई केवल आर्थिक प्रतिस्पर्धा का औजार नहीं, बल्कि सामाजिक असमानताओं को पाटने का माध्यम भी हो सकता है।

इस सम्मेलन में भारतीय विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्टार्टअप्स की भागीदारी को 'युवा भारत की बौद्धिक शक्ति' के प्रदर्शन के रूप में देखा जाना चाहिए था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा एआई को 'पांचवीं औद्योगिक क्रांति' कहना और यह दावा करना कि तीन लाख से अधिक छात्र व शोधकर्ता इसमें पंजीकृत हैं, देश की आकांक्षाओं को दर्शाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश, इसी मंच से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने भारत के तथाकथित इनोवेशन इकोसिस्टम की पोल खोल दी।

गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा चीन में बने एक एआई-पावर्ड रोबोटिक डॉग को अपना इनोवेशन बताकर पेश करना केवल एक संस्थान की गलती नहीं है; यह उस पूरे ढांचे पर प्रश्नचिह्न है, जिसके सहारे सरकार निजी विश्वविद्यालयों को शोध और नवाचार का चेहरा बना रही है। कैमरे पर खड़े होकर एक प्रोफेसर का गर्व से यह दावा करना कि 'ओरियन' नाम का चार पैरों वाला रोबोडॉग विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में विकसित हुआ है, और बाद में यह सामने आना कि यह दरअसल चीन की एक कंपनी का उत्पाद है—यह घटना भारत की साख को वैश्विक मंच पर ठेस पहुंचाने वाली है।

यह और भी चिंताजनक है कि सरकारी चैनलों सहित कई मीडिया संस्थानों ने बिना किसी बुनियादी सत्यापन के इस कथित उपलब्धि को बड़े पैमाने पर प्रचारित किया। जब चीन की ओर से तथ्य सामने आए, तब जाकर यह भ्रम टूटा। उसके बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी का यह कहना कि उसने कभी इसे अपना इनोवेशन बताया ही नहीं, एक और झूठ जोड़ने जैसा था, क्योंकि वायरल वीडियो उनके दावे को स्वयं खारिज कर देता है। यह प्रकरण केवल अकादमिक बेईमानी का नहीं, बल्कि नैतिक पतन का भी उदाहरण है।

इस घटना ने सरकार की उस नीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को बड़े पैमाने पर शोध फंड, इनोवेशन ग्रांट और पेटेंट के नाम पर संसाधन दिए जा रहे हैं। जब एडमिशन प्रक्रिया, शिक्षा की गुणवत्ता और अकादमिक ईमानदारी ही संदेह के घेरे में हो, तो ऐसे संस्थानों के सहारे देश को एआई महाशक्ति बनाने का सपना कैसे साकार होगा? यह पूछना जरूरी है कि जो मोटा फंड निजी विश्वविद्यालयों को दिया जा रहा है, उसका वास्तविक आउटपुट क्या है और उसकी निगरानी किस स्तर पर हो रही है।

भारत का एआई विजन तभी विश्वसनीय हो सकता है, जब वह दिखावे और ब्रांडिंग से ऊपर उठकर वास्तविक अनुसंधान और मौलिक नवाचार को प्राथमिकता दे। आज स्थिति यह है कि कई निजी विश्वविद्यालय 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' जैसे भारी-भरकम शब्दों का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन वहां न तो विश्वस्तरीय प्रयोगशालाएं हैं, न ही दीर्घकालिक शोध संस्कृति। परिणामस्वरूप, आयातित तकनीक को 'मेक इन इंडिया' का टैग लगाकर पेश किया जा रहा है, जो अंततः देश की बौद्धिक संप्रभुता को कमजोर करता है।

यह समय गंभीर आत्ममंथन का है। सरकार को यह समझना होगा कि वास्तविक नवाचार शॉर्टकट से नहीं आता। इसके लिए मजबूत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली, स्वतंत्र अनुसंधान संस्थान और अकादमिक स्वतंत्रता आवश्यक है। पहले की तरह सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे प्रतिभाशाली छात्रों को संसाधन, अवसर और संरक्षण देना होगा। इन संस्थानों में फीस का बोझ कम करना, लालफीताशाही खत्म करना, जिम्मेदारी तय करना और भ्रष्टाचार पर कठोर कार्रवाई करना अनिवार्य है।

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि भारत वैश्विक एआई विमर्श का केंद्र बन सकता है। लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसी घटनाएं यह भी बताती हैं कि यदि भीतर की कमजोरियों को दूर नहीं किया गया, तो यह नेतृत्व केवल प्रतीकात्मक रह जाएगा। भारत को यह तय करना होगा कि वह एआई के क्षेत्र में वास्तविक निर्माता बनना चाहता है या केवल मंचों और सम्मेलनों का चमकदार मेजबान।

वैश्विक मंच पर सम्मान केवल बड़े आयोजनों से नहीं, बल्कि ईमानदार नवाचार, पारदर्शी नीतियों और मजबूत संस्थानों से मिलता है। यदि भारत को एआई के युग में सचमुच विश्वगुरु की भूमिका निभानी है, तो उसे सबसे पहले अपने शैक्षणिक और अनुसंधान ढांचे को ईमानदारी, गुणवत्ता और जवाबदेही की कसौटी पर कसना होगा। तभी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जैसे आयोजन इतिहास में केवल आयोजन नहीं, बल्कि परिवर्तनकारी मोड़ के रूप में दर्ज होंगे।

— कृष्णा पाठक
(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

आज का राशीफल

मेष आज का दिन आपके निजी जीवन में दोस्तों और परिवार के साथ मजबूत संबंध बनाने का है। कुछ छोटी-मोटी अनबन हो सकती है, लेकिन आपका धैर्य उन्हें सुलझाने में मददगार साबित होगा।	**कर्क** आज का दिन आपके लिए कई तरह की भावनाओं का संगम लेकर आएगा, जो आपको अपने व्यक्तिगत संबंधों का मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करेगा।	**तुला** आप अपने आस-पास के लोगों के साथ सबध मजबूत करने की ओर आकर्षित होंगे। व्यक्तिगत लक्ष्यों पर विचार करने और उन्हें प्राप्त करने की योजना बनाने के लिए यह एक अच्छा दिन है।	**मकर** आज अंतर्ज्ञान और व्यावहारिकता के बीच संतुलन बनाए रखने का दिन है। आपको उन लोगों से जुड़ने की तीव्र इच्छा हो सकती है जो आपकी रुचियों और मूल्यों को साझा करते हैं।
वृषभ निजी जीवन में आप अपने आस-पास के लोगों के साथ गहरे संबंध तलाशने की कोशिश कर सकते हैं। मित्र और परिवार भावनात्मक सहयोग प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, इसलिए उनसे संपर्क करने में संकोच न करें।	**सिंह** आज के सामाजिक मेलजोल आपके जीवन में गर्माहट और प्रेरणा ला सकते हैं। आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ अधिक जुड़ाव महसूस कर सकते हैं, जिससे सार्थक बातचीत और साझा अनुभव हो सकते हैं।	**वृश्चिक** आज का दिन नए संकल्प लेने का दिन है। बदलावों को आशावाद के साथ स्वीकार करें और रिश्तों को मजबूत करने पर ध्यान दें। संवाद सुचारू रूप से चलेगा, जिससे अपने विचारों और इच्छाओं को व्यक्त करना आसान हो जाएगा।	**कुंभ** आज आपके निजी जीवन में एक गतिशील ऊर्जा का संचार होगा। मित्रों या परिवार के साथ संबंधों में लचीलेपन और समझदारी की आवश्यकता हो सकती है। योजनाओं में बदलाव या अपेक्षाओं में समायोजन के लिए तैयार रहें और निराश न हों।
मिथुन व्यक्तिगत मामलों में, मिथुन राशि वालों के लिए आज संतुलन और जुड़ाव पर ज़ोर है। आपकी जिज्ञासा और मिलनसारिता लोगों को आपकी ओर आकर्षित करती है, जिससे गहरे संबंध बनाने में मदद मिलती है।	**कन्या** आपके व्यक्तिगत जीवन में ऊर्जा और दृढ़ संकल्प का संचार आपको कार्यों को उत्साहपूर्वक निपटाने की शक्ति प्रदान करेगा। पारिवारिक संबंधों में कुछ समस्याओं पर आपका ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है।	**धनु** आज का दिन व्यक्तिगत विकास और रिश्तों को मजबूत करने के कई अवसरों से भरा रहेगा। दोस्तों या परिवार के साथ समय बिताने से पुराने रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं और खुशी के पल आ सकते हैं।	**मीन** आज का दिन नई शुरुआत और व्यक्तिगत विकास से भरा है। चंद्रमा का प्रभाव भावनात्मक स्पष्टता का संकेत देता है, जो जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायक होगा।